

ग्रामीण		*
नगरीय		

केन्द्रीय		*
राज्य		

भारत सरकार
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
सामाजार्थिक सर्वेक्षण

सड़सठवाँ दौर: जुलाई 2010-जून 2011

अनुसूची 2.34:अनिगमित गैर-कृषि उद्दम(निर्माण को छोड़कर)

[0] प्रतिदर्श उद्दम की विवरणात्मक पहचान	
1. राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र :	6. वार्ड/ अन्वेषक इकाई/न.ढा.स. खण्ड:
2. जिला:	7. स्वामी का नाम:
3. तहसील/नगर* :	8. सूचक का नाम:
4. ग्राम का नाम:	9. उद्दम का नाम एवं पता:
5. खेडे की क्रम संख्या: (स्तम्भ-1, खण्ड-3.1)#	

* उचित स्थान पर सही (✓) का निशान लगाएं। # अनुसूची 0.0 का संदर्भ लें।

[1] प्रतिदर्श उद्दम की पहचान							
मद सं.	मद	संकेतांक			मद सं.	मद	संकेतांक
1	प्रतिदर्श ग्राम /खण्ड की क्रम सं.				11	उप प्रतिदर्श	
2	दौर संख्या	6		7	12	क्षेत्र संकार्य प्रभाग उप क्षेत्र	
3	अनुसूची संख्या	2	3	4	13	सेगमेण्ट संख्या (1/2/9)	
4	प्रतिदर्श(केन्द्रीय-1, राज्य-2)				14	द्वितीय चरण स्तर (SSS)	
5	क्षेत्रक(ग्रामीण-1, नगरीय-2)				15	प्रतिदर्श उद्दम संख्या	
6	रा.प्र.स.क्षेत्र				16	प्रत्युत्तर संकेतांक	
7	जिला संकेतांक				17	सूचक संकेतांक	
8	स्तर				18	सर्वेक्षण संकेतांक	
9	उप-स्तर				19	मूल प्रतिदर्श के सर्वेक्षित न होने का कारण (संकेतांक) [मद 18 में 2 एवं 3 के लिए]	
10	उप-दौर						

खण्ड 1 के लिए संकेतांक

मद 16 : प्रत्युत्तर संकेतांक: सूचक सहयोगी एवं सक्षम-1, सूचक सहयोगी किन्तु सक्षम नहीं-2, सूचक व्यस्त परन्तु उत्तर दिया-3, सूचक अनिच्छुक-4, अन्य-9

मद 17 : सूचक संकेतांक: स्वामी - 1, प्रबन्धक - 2, अन्य - 9

मद 18 : सर्वेक्षण संकेतांक: मूल उद्दम सर्वेक्षित - 1, स्थानापन्न सर्वेक्षित - 2, आहत - 3

मद 19 : मूल प्रतिदर्श के सर्वेक्षित न होने का कारण: सूचक व्यस्त-1, सूचक उपलब्ध नहीं-2, सूचक असहयोगी-3, अन्य-9

मद 204 : स्वामित्व का प्ररूप			
मालिकाना (पुरुष)	1	स्वयं सहायता समूह.....	5
मालिकाना (महिला)	2	ट्रस्ट	6
एक ही परिवार के सदस्यों के बीच साझेदारी.....	3	अन्य.....	9
ऐसी साझेदारी जिसके सभी सदस्य एक ही परिवार के न हों.....	4		
मद 209 : उद्दम की अवस्थिति			
परिवार के परिसर के भीतर	1	निर्धारित परिसर में परन्तु बिना किसी संरचना के	4
परिवार के परिसर के बाहर:		सचल(चलता-फिरता)बाजार	5
निर्धारित परिसर तथा स्थायी संरचना के साथ	2	बिना किसी निर्धारित परिसर के(फेरी वाले) ...	6
निर्धारित परिसर एवं अस्थायी संरचना /किओस्क/ स्टाल के साथ	3		
मद 218 एवं 219 : उद्दम के सामने आयी समस्याओं की प्रकृति			
अनियमित विद्युत आपूर्ति/ बिजली कटौती.....	01	उधार की वसूली नहीं	05
कच्ची सामग्री की कमी.....	02	आवश्यकता के समय श्रमिकों की अनुपलब्धता.....	06
मांग में संकुचन /गिरावट	03	श्रम विवाद एवं तत्संबंधित समस्याएं	07
साख की अनुपलब्धता / अत्यधिक कीमत.....	04	अन्य (दिए गए स्थान में विवरण दीजिए).....	09
मद 221 एवं 222 : सरकार से प्राप्त सहायता का प्रकार*			
वित्तीय ऋण	1	विपणन	5
परिदान(सब्सिडी)	2	कच्ची सामग्री.....	6
मशीन/ उपकरण.....	3	अन्य	9
प्रशिक्षण	4		

* इसके अन्तर्गत वे सहायता / परिदान नहीं सम्मिलित किए जाएंगे जो उपभोक्ताओं तक पहुँच जाते हैं।

टिप्पणी 1: मिश्रित कार्यकलाप: किसी स्थान पर एक उद्दम तब मिश्रित कार्यकलाप करता हुआ माना जाएगा जब वह एक से ज्यादा कार्यकलाप एक साथ कर रहा हो तथा उन कार्यकलापों के खातों को अलग नहीं किया जा सकता हो। उन कार्यकलापों के रा.औ.व.-2008 संकेतांक दो अंकों के स्तर पर भिन्न होने चाहिए। यदि खाते अलग किए जा सकते हैं तो प्रत्येक कार्यकलाप अलग उद्दम के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी 2: प्रमुख कार्यकलाप: यह वो कार्यकलाप है जो अधिकतम आय (प्रथम) / कुल बिक्री (द्वितीय) / रोजगार (तृतीय) सृजन करता है(इंगित क्रम के अनुसार) ।

[2] प्रचालन विवरण एवं पृष्ठभूमि सूचना		मद सं.	संकेतांक			
(1)		(2)	(3)			
क्या मिश्रित कार्यकलाप में संलग्न है? (हाँ - 1, नहीं - 2)		201				
मुख्य कार्यकलाप संकेतांक(5-अंकीय रा.औ.व. 2008 के अनुसार)		202				
मुख्य कार्यकलाप का विवरण:						
यदि मद 201 में 'हाँ' है तो	प्रमुख गौण कार्यकलाप संकेतांक (5-अंकीय रा.औ.व. 2008 के अनुसार) [मद 202 एवं 203 के प्रथम दो अंक समान नहीं होने चाहिए]	203				
स्वामित्व का प्ररूप (संकेतांक)		204				
क्या निजी लाभ नहीं कमाने वाली संस्था है? (हाँ-1, नहीं-2)		205				
यदि मद 205 में 'हाँ' है तो	क्या लाभ नहीं कमाने वाली संस्था परिवारों को सेवा प्रदान करने वाली है (एन पी आई एस एच)? (हाँ-1, नहीं-2)	206				
यदि मद 204 में '1' से '4' है	स्वामी/मुख्य साझीदार का सामाजिक समूह (अ.ज.जा.-1, अ.जा.-2, अ.पि.व.-3, अन्य-4, नहीं पता-9)	207				
उद्दमी द्वारा पिछले 365 दिनों के दौरान किए गए अन्य आर्थिक कार्यकलापों की संख्या(यदि मद 204 में '1' से '4' हो तभी लागू)		208				
उद्दम की अवस्थिति (संकेतांक)		209				
पिछले 365 दिनों के दौरान उद्दम का प्ररूप (स्वकार्यरत उद्दम-1, प्रतिष्ठान-2)		210				
प्रचालन प्रारम्भ करने का वर्ष		211				
प्रचालन की प्रकृति (बारहमासी - 1, मौसमी - 2, आकस्मिक - 3)		212				
पिछले 365 दिनों के दौरान प्रचालित महीनों की संख्या		213				
पिछले 30 दिनों के दौरान उद्दम द्वारा सामान्यतः एक दिन में कार्य करने के घंटों की संख्या		214				
क्या खाते (अकाउन्ट्स) रखे जाते हैं? (हाँ-1, नहीं-2)		215				
यदि मद 215 में 'हाँ' है तो क्या आंकड़े लेखा बही से एकत्रित किए गए? (हाँ-1, नहीं-2)		216				
क्या उद्दम के सामने इसके प्रचालन में पिछले 365 दिनों के दौरान कोई समस्या आई? (हाँ-1, नहीं-2)		217				
यदि मद 217 में 'हाँ' है तो, प्रचालन में पिछले 365 दिनों के दौरान आई समस्याओं की प्रकृति (अधिकतम दो संकेतांक समस्याओं की गंभीरता के क्रम में)	अत्यधिक गंभीर समस्या	218				
	उसके बाद की गंभीर समस्या	219				
क्या उद्दम ने पिछले तीन वर्षों में सरकार से कोई सहायता प्राप्त की है? (हाँ-1, नहीं-2)		220				
यदि मद 220 में 'हाँ' है तो, पिछले तीन वर्षों में सरकार से प्राप्त सहायता का प्रकार (संकेतांक) (अधिकतम दो संकेतांक, सहायता के महत्त्व के घटते क्रम में)	अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सहायता	221				
	उसके बाद की महत्त्वपूर्ण सहायता	222				

[2] प्रचालन विवरण एवं पृष्ठभूमि सूचना		मद सं.	संकेतांक	
पिछले तीन वर्षों में उद्दम की स्थिति (फैलता हुआ - 1, स्थिर - 2, सिकुडता हुआ - 3, तीन वर्ष से कम के लिए प्रचालित - 9)		223		
क्या किसी अधिनियम /प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत है? (हाँ-1, नहीं-2)		224		
उद्दम के पंजीकरण का प्रकार				
यदि मद 224 में 'हाँ' है तो	क्या इसके अन्तर्गत पंजीकृत है (हाँ-1, नहीं-2)	दुकान एवम् प्रतिष्ठान अधिनियम?	225	
		नगर निगम/ पंचायत / स्थानीय निकाय?	226	
		वैट / बिक्री कर अधिनियम ?	227	
		भविष्य निधि अधिनियम ?	228	
		कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम ?	229	
	कोई अन्य उद्योग विशेष अधिनियम/प्राधिकरण (अधिकतम तीन संकेतांक दाजिए)		230	
			231	
		232		
अन्य इकाईयों के साथ करार का प्ररूप				
क्या उद्दम का अन्य इकाईयों से पूर्व विपणन करार है ? (हाँ-1, नहीं-2)		233		
यदि मद 233 में हाँ है तो, करार के अन्तर्गत उद्दम के समस्त उत्पाद में से पूर्ति किया जाने वाला भाग (संकेतांक) (समस्त उत्पाद/सेवाएं-1, उत्पाद/सेवाओं का भाग -2).		234		
अन्य इकाईयों से करार की व्याप्ति (संकेतांक)		235		
क्या करार के अन्तर्गत करार के बाद में आगत मूल्य वृद्धि का प्रावधान रखा गया है ? (हाँ-1, नहीं-2)		236		
करार के अन्तर्गत बिक्री/सुपुर्दगी के समय सामान्यतः प्राप्त होने वाले भुगतान का प्रतिशत		237		
क्या इकलौते मातृ इकाई को आपूर्ति की जाती है ? (हाँ-1, नहीं-2)		238		
यदि मद 238 में हाँ है तो, क्या पिछले तीन वर्षों में मातृ इकाई आम तौर पर एक ही रही है (केवल उन्हीं उद्दमों के लिए जो तीन या उससे अधिक वर्षों से अस्तित्व में हैं). (हाँ-1, नहीं-2, लागू नहीं-9)		239		

मद 230-232 : उद्योग-विशेष अधिनियम/ प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकरण

राज्य उद्योग निदेशालय	01	तकनीकी सलाहकार सेवा संस्थाएं / तकनीकी	
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग /		उच्चीकरण परिषद.....	11
बोर्ड.....	02		
हस्तशिल्प / हथकरघा विकास		भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	
आयुक्त.....	03	(SIDBI).....	12
क्वायर बोर्ड	04		
शिक्षा निदेशालय / एक्ट (AICTE)/रा.त.शि.प.(NCTE)	05	लघु उद्योग सेवा संस्थाएं / अन्य लघु उद्योग पंजीकरण	
.....		अभिकरण.....	13
सिल्क बोर्ड	06	जिला आपूर्ति एवं विपणन समिति.....	14
जूट आयुक्त.....	07		
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड.....	08	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (STC)	
		15
		इंडियन चैरिटेबल एक्ट	16
विदेश व्यापार महानिदेशालय / अन्य निर्यात प्रोत्साहन		सिनेमेटोग्राफ एक्ट	17
अभिकरण.....	09	मनी लेंडर'स एक्ट	18
राज्य वित्त निगम / औद्योगिक सहकारी बैंक / औद्योगिक		सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (राज्यों के विकल्प	
विकास बैंक.....	10	सम्मिलित करते हुए).....	19
		पब्लिक ट्रस्ट एक्ट	20
		अन्य.....	99

मद 235 : अन्य इकाईयों से करार की व्याप्ति

ए. कच्चे माल की अन्य इकाई द्वारा आपूर्ति की जाती है..	1	इ. ए एवं सी	5
बी. तकनीक/ अभिकल्प/ विशिष्टताएं अन्य इकाई द्वारा दी जाती है	2	एफ. बी एवं सी.....	6
सी. संयन्त्र एवं मशीनें अन्य इकाई द्वारा दी जाती है..	3	जी. ए, बी एवं सी	7
डी. ए एवं बी	4	एच. उपरोक्त में से कोई नहीं	9

[2.1] दिनांक को समाप्त पिछले 30 दिनों/ कलेंडर मास में उद्घम द्वारा संपादित कार्यकलाप		
कार्यकलाप का विस्तृत विवरण	मद सं.	क्या संदर्भ अवधि के दौरान कार्यकलाप में संलग्न रहे (हाँ-1, नहीं-2)
(1)	(2)	(3)
विनिर्माण कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 10-33, 01632)	241	
व्यापार कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 45-47)	242	
परिवहन एवं भंडारण कार्यकलाप [रा.औ.व.-08 समूह 492 (49212 एवं 49213 को छोड़कर), 501, 502 तथा प्रभाग 52]	243	
डाक एवं कूरियर कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 53)	244	
निवास एवं खाद सेवाएं कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 55-56)	245	
सूचना एवं संचार कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 58-63)	246	
वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 समूह 643, 65, 649, प्रभाग 66)	247	
भूसंपत्ति कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 68)	248	
शैक्षणिक कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 85)	249	
मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 86-88)	250	
अन्य कार्यकलाप [रा.औ.व.-08 उद्योग प्रभाग 37, 38, 39, 69-75, 77 (7740 को छोड़कर), 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96]	251	

[3] को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में मुख्य प्रचालन व्यय (रूपए पूर्णांक में)		
(1)	(2)	(3)
विनिर्माण कार्यकलाप(रा.औ.व.-08 प्रभाग 10-33, 01632)		
उपभुक्त मुख्य कच्ची सामग्री	मद सं.	मूल्य (रु.)
	301	
	302	
	303	
	304	
अन्य कच्ची सामग्री	305	
उन वस्तुओं का मूल्य जिन्हें उसी स्थिति में बेच दिया गया जिस स्थिति में खरीदा गया था	306	
योग (मद 301 से 306 तक)	309	

व्यापारिक कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 45-47)		
खरीदी गई मुख्य वस्तुएं	मद सं.	मूल्य (रु.)
	311	
	312	
	313	
	314	
अन्य खरीदी गई वस्तुएं	315	
योग (मद 311 से 315 तक)	319	

परिवहन कार्यकलाप [रा.औ.व.-08 समूह 492 (49212 एवं 49213 को छोड़कर), 501 तथा 502]		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, इत्यादि	321	
टायर, ट्यूब, बैटरी इत्यादि	322	
परिवहन उपकरण की मरम्मत एवं रख रखाव	323	
टोल कर, चुंगी, स्थानीय शुल्क, बीमा प्रभार इत्यादि	324	
माल के भंडारण, वाहन पार्किंग इत्यादि हेतु भुगतान किया गया प्रभार	325	
योग (मद 321 से 325 तक)	329	

भंडारण तथा परिवहन के लिए सहायक कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 52)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
गोदाम में प्रयुक्त उपभोज्य सामग्री	331	
बीमा प्रभार	332	
परिवहन के लिए सहायक कार्यकलापों पर किया गया व्यय	333	
योग (मद 331 से 333 तक)	339	

[3] को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में मुख्य प्रचालन व्यय (रूपर पूर्णांक में)

(1)	(2)	(3)
डाक एवं कूरियर सेवा कार्यकलाप(रा.औ.व.-08 प्रभाग 53)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
लेखन सामग्री, डाक मद इत्यादि का प्रभार	341	
बीमा प्रभार	342	
अन्य	343	
योग (मद 341 से 343 तक)	349	

निवास एवं खाद्य सेवाएं कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 55-56)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
खाना एवं पेय बनाने में उपभुक्त वस्तुएं	351	
बिक्री की गई वस्तुओं का क्रय मूल्य	352	
चीनी मिट्टी के बर्तन, काँच के बर्तन, बिस्तर एवं अन्य उपभोज्य वस्तुएं	353	
उपभुक्त ईंधन	354	
योग (मद 351 से 354 तक)	359	

सूचना एवं संचार कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 58-63)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
बातचीत प्रभार एवं देय किराया (स्थानीय/ एसटीडी / आईएसडी, साइबर कैफे, रेडियो पेंजिंग, सेलुलर इत्यादि)	361	
अन्य व्यय	362	
योग (मद 361 से 362 तक)	369	

वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप(रा.औ.व.-08 समूह 643, 649 प्रभाग 65, 66)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
व्याज प्राप्ति	371	
दलाली व कमीशन	372	
बीमा दावों का भुगतान	373	
जीवन बीमा टेक्निकल रिजर्व्स में नियत परिवर्तन [ऋणात्मक मूल्य होने पर (-) चिन्ह लगाएं]	374	
अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य के लिए सेवा प्रभार (संविदा, उप-संविदा, विधिक, अंकेक्षण, लेखा कार्य सेवाएं इत्यादि)	375	
अन्य (जैसे बिजली, संचार, यात्रा, मुद्रण इत्यादि)	376	
कुल (मद 371 से 376 तक)	379	

भूसंपत्ति कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 68)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
भयन, मशीन एवं उपकरण का रख-रखाव	381	
अन्य खर्च (यात्रा, आतिथ्य-सत्कार, विधिक आदि)	382	
कुल (मद 381 से 382 तक)	389	

[3]को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में मुख्य प्रचालन व्यय (रूपए पूर्णांक में)		
(1)	(2)	(3)
शैक्षणिक कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 85)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय पर आवर्ती खर्च	391	
अखबार, पत्रिकाएं, कागज, मुद्रण, लेखन सामग्री इत्यादि पर आवर्ती खर्च	392	
वार्षिक दिवस, शिक्षक दिवस, स्वास्थ्य जाँच इत्यादि उत्सवों पर खर्च	393	
कम्प्यूटर, जीरोक्स, साइक्लोस्टाइल इत्यादि में उपभोज्य वस्तुओं पर खर्च	394	
कुल (मद 391 से 394 तक)	399	

मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 86-88)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
रोगियों का आहार	401	
दवाई एवं औषधियाँ	402	
शल्यशाला, परिष्कृत उपकरणों, रोगात्मक, विकिरण चिकित्सा एवं अन्य नैदानिक जाँच के लिए उपभोज्य वस्तुओं पर खर्च	403	
दवाई की सूई, नसों में दवा चढ़ाने का यन्त्र, रुई, पट्टी, प्लास्टर चढ़ाने का सामान तथा अन्य प्रयोज्य सामग्री	404	
वर्दी, चादर, तकिया इत्यादि धुलाई योग्य सामान	405	
स्वास्थ्य शिविर, विचार गोष्ठी, कार्यशाला, जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक कार्यकलाप	406	
प्रशिक्षण, बैठक, प्रलेखन, प्रकाशन, पोषण खर्च	407	
कुल (मद 401 से 407 तक)	409	

[4] को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में अन्य प्रचालन व्यय (रूपए पूर्णांक में) (समस्त अन्य खर्च जो खण्ड 3 में नहीं लिए गए हैं उन्हें यहां दर्ज किया जाएगा)		
मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)
विद्युत प्रभार	411	
ईंधन एवं स्नेहक	412	
भवन, फर्नीचर तथा उपस्कर (मजदूरी प्रभार को सम्मिलित करके) के स्व-निर्माण में उपभुक्त कच्ची सामग्री	413	
इनकी सूक्ष्म मरम्मत एवं रख-रखाव	भवन	414
	संयन्त्र एवं उपस्कर	415
	परिवहन उपकरण	416
	औजार तथा अन्य स्थायी परिसम्पत्तियाँ	417
	सूचना, कम्प्यूटर तथा संचार उपकरण (आई सी टी)	418
स्थायी परिसम्पत्तियाँ (भूमि एवं भवन के अतिरिक्त) पर दिया जाने वाला किराया	421	
अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य के लिए सेवा प्रभार (संविदा, उप-संविदा, विधिक, अंकेक्षण, विज्ञापन एवं अन्य लेखा कार्य सेवाएं, भंडारण खर्च, दलाली खर्च इत्यादि)	422	
यान्त्र, माल एवं भार वाहन (परिवहन) खर्च	423	
संचार खर्च (टेलीफोन, तार, फैक्स, डाक, कूरियर, इ-मेल इत्यादि)	424	
उपभोज्य भंडार, बाँधने का सामान (पैकिंग सामग्री) इत्यादि की खरीद	425	
कागज, मुद्रण एवं लेखन खर्च	426	
बीमा प्रभार	427	
अन्य खर्च	428	
कुल (मद 411 से 428 तक)	429	
उत्पादन पर कर (भूमि, भवन या अन्य संरचना, व्यवसाय या व्यावसायिक लाइसेन्स (अनुज्ञा पत्र) शुल्क, सड़क कर, वाहन का पंजीकरण शुल्क इत्यादि पर आवर्ती कर) {उत्पाद कर एवं अन्य अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा}	431	

टिप्पणी 3: खण्ड 3 में इंगित उद्योगों के अलावा, यह खण्ड रा. औ.व.-2008 के उद्योग 37, 38, 39, 69 -75, 77 (7740 को छोड़कर), 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 के लिए भी लागू होगा।

टिप्पणी 4: कृपया ध्यान रखें कि समान मदों जैसे कि 321 और 412, 323 और 416, 342 और 427 इत्यादि में प्रविष्टियाँ दोहराई न जाएं।

[5]को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में मुख्य प्राप्ति (रूप पूर्णांक में)		
(1)	(2)	(3)
विनिर्माण कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 10-33, 01632)		
विनिर्मित मुख्य उत्पाद एवं उप-उत्पाद	मद सं.	मूल्य (रु.)
	501	
	502	
	503	
	504	
अन्य उत्पाद / उप-उत्पाद	505	
उन वस्तुओं का बिक्री मूल्य जिन्हें उसी स्थिति में बेच दिया गया जिस स्थिति में खरीदा गया था	506	
उप-योग (मद 501 से 506 तक)	509	
अर्ध निर्मित वस्तुओं का प्रारम्भिक भण्डार	511	
अर्ध निर्मित वस्तुओं का अन्तिम भण्डार	512	
अर्ध निर्मित वस्तुओं के भण्डार में परिवर्तन (मद 512 – मद 511) ऋणात्मक मूल्य के लिए (-) चिन्ह लगाइए	513	
योग (मद 509 + मद 513)	519	
व्यापारिक कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 45-47)		
बेची गई मुख्य वस्तुएं	मद सं.	मूल्य (रु.)
	521	
	522	
	523	
	524	
बेची गई अन्य वस्तुएं	525	
उप-योग (मद 521 से 525 तक)	529	
व्यापारिक वस्तुओं का प्रारम्भिक भण्डार	531	
व्यापारिक वस्तुओं का अन्तिम भण्डार	532	
व्यापारिक वस्तुओं के भण्डार में परिवर्तन (मद 532 – मद 531) (ऋणात्मक मूल्य के लिए (-) चिन्ह लगाइए)	533	
योग (मद 529 + मद 533)	539	
परिवहन कार्यकलाप [रा.औ.व.-08 समूह 492 (49212 एवं 49213 को छोड़कर), 501 तथा 502]		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
गान्ना भाड़े से आमदनी	541	
माल भाड़े से आमदनी	542	
योग (मद 541 से 542 तक)	549	

[5]को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में मुख्य प्राप्तियाँ (रूप पूर्णांक में)		
(1)	(2)	(3)
भंडारण तथा परिवहन के लिए सहायक कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 52)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
प्राप्त भंडारण प्रभार	551	
परिवहन के लिए सहायक कार्यकलापों के लिए प्राप्त सेवा प्रभार	552	
योग (मद 551 से 552 तक)	559	

डाक एवं कूरियर सेवा कार्यकलाप(रा.औ.व.-08 प्रभाग 53)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
डाक एवं कूरियर कार्यकलापों के लिए ग्राहकों से प्राप्त प्रभार	561	
अन्य	562	
योग (मद 561 से 562 तक)	569	

निवास एवं खाद्य सेवाएं कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 55-56)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
निवास प्रभार, उत्सवों, सम्मेलनों के लिए कमरे एवं हाल को किराए पर देने से प्राप्त किराया तथा परिवहन/यात्रा व्यवस्था, धुलाई सेवाएं, व्यायामशाला, स्पा, बाल बनवाई, तरण ताल, मनोरंजन इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करने से प्राप्तियां	571	
पकाए हुए भोजन, नाश्ता, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री से प्राप्तियां	572	
खरीदे गए खाद्य, नाश्ता, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री से प्राप्तियां	573	
बाह्य खान-पान व्यवस्था सेवाओं से प्राप्तियां	574	
योग (मद 571 से 574 तक)	579	

सूचना एवं संचार कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 58-63)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
ग्राहकों से प्राप्त प्रभार (एस टी डी / आई एस डी / कूरियर / फैंक्स / इंटरनेट इत्यादि)	581	
अन्य प्राप्तियां	582	
योग (मद 581 से 582 तक)	589	

वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप(रा.औ.व.-08 समूह 643, 649 प्रभाग 65, 66)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
ब्याज प्राप्तियां (नकद एवं वस्तु रूप में)	591	
लाभांश प्राप्तियां	592	
पट्टे से आय	593	
दलाली एवं कमीशन	594	

[5]को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में मुख्य प्राप्तियाँ (रूपए पूर्णांक में)		
(1)	(2)	(3)
शेयर व्यापार से शुद्ध लाभ	595	
चिट फंड से आमदनी	596	
किराया खरीद के लिए वित्त उपलब्ध कराने से प्राप्त आय	597	
प्राप्त बीमा किश्त (प्रीमियम)	598	
प्राप्त पूरक बीमा किश्त	601	
अन्य [जैसे कि परामर्श देना {कन्सलटेन्सी}, गैर वित्तीय कार्यकलापों, यदि कोई है तो, से प्राप्तियाँ]	602	
योग (मद 591 से 602 तक)	609	
भूसंपत्ति कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 68)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
प्रदत्त सेवाओं से प्राप्तियाँ (भूमि एवं भवन पर किराया सम्मिलित करके)	611	
दलाली एवं कमीशन प्रभार	612	
योग (मद 611 से 612 तक)	619	
शैक्षणिक कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 85)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस)	621	
अन्य शुल्क (विकास शुल्क, परिवहन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, परीक्षा शुल्क, दण्ड, पुस्तकालय शुल्क इत्यादि को सम्मिलित करके)	622	
व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थानों से प्राप्त निधि/ दान	623	
कुल (मद 621 से 623 तक)	629	
मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य कार्यकलाप (रा.औ.व.-08 प्रभाग 86-88)		
मुख्य मद	मद सं.	मूल्य (रु.)
परामर्श शुल्क एवं दवाईयों के लिए प्रभार	631	
शल्यशाला एवं अन्य विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए प्रभार	632	
वाई, केबिन, रोगात्मक, विकिरण चिकित्सा एवं अन्य नैदानिक जाँच, आहार, उपचर्या, फिज़ियोथैरेपी (भौतिक चिकित्सा) एवं पुनर्स्थापना इत्यादि के लिए प्रभार	633	
प्रशिक्षण के लिए शुल्क (नर्सों, पर-व्यावसायिक इत्यादि)	634	
व्यक्तियों एवं संस्थानों से प्राप्त निधि/ दान	635	
योग (मद 631 से 635 तक)	639	

[6] को समाप्त पिछले 30 दिनों/.....को समाप्त कैलेंडर मास में अन्य प्राप्तियाँ (रूप पूर्णांक में) (उद्दम की वे सभी अन्य प्राप्तियाँ जो खण्ड 5 में नहीं ली गई हैं उन्हें यहां दर्ज किया जाएगा)		
अन्य प्राप्तियां (1)	मद सं. (2)	मूल्य (रु.) (3)
दलाली सहित अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से प्राप्तियां	641	
अर्ध निर्मित वस्तुओं के भण्डार में परिवर्तन (सेवा प्रदान करने वाले उन उद्दमों के लिए लागू जो कि सॉफ्टवेयर उत्पादन, चलचित्र निर्माण इत्यादि में संलग्न हैं)	642	
भवन, फर्नीचर तथा उपस्कर के स्व-निर्माण का मूल्य	643	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर प्राप्य किराया (भवन एवं भूमि के अलावा)	644	
व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थानों से प्राप्त निधि/ दान	645	
सरकारी अनुदान (पूँजीगत स्थानान्तरण जैसे भवन निधि इत्यादि को छोड़कर)	646	
अन्य प्राप्तियां	647	
योग (मद 641 से 647 तक)	649	
उत्पादन परिदान (सब्सिडी)/ ब्याज परिदान	651	

टिप्पणी 5: खण्ड 5 में इंगित उद्योगों के अतिरिक्त, यह खण्ड रा. औ. व. 2008 के उद्योग 37, 38, 39, 69-75, 77 (7740 को छोड़कर), 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 के लिए भी लागू होगा।

टिप्पणी 6: कृपया ध्यान रखें कि समान मदों जैसे कि 623 और 645, 635 और 645, इत्यादि में प्रविष्टियाँ दोहराई न जाएं।

[7] को समाप्त पिछले 30 दिनों/.....को समाप्त कैलेंडर मास में सकल वर्धित मूल्य का परिकलन (रूप पूर्णांक में)		
मद (1)	मद सं. (2)	मूल्य (रु.) (3)
कुल प्राप्तियां: [मद (519+539+549+559+569+579+589+609+619+629+639+ 649)]	701	
कुल परिचालन व्यय: [मद 309+319+329+339+349+359+369+379+389+399+409+429]	702	
वितरण व्यय, यदि कोई है तो (@)	703	
सकल वर्धित मूल्य (मद 701 – मद 702 – मद 703) ऋणात्मक मूल्य होने पर (-) चिन्ह लगाएं	709	

@ उत्पाद कर, बिक्री कर, नहीं काटा जाने वाला वैट, बाहर भेजे जाने वाले माल के परिवहन का प्रभार, बिक्री अभिकर्ताओं को कमीशन इत्यादि सम्मिलित है।

[8]को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में उद्गम का रोजगार विवरण						
कर्मों का प्ररूप	मद सं.	कर्मियों की औसत संख्या				
		पूर्णकालिक		अंशकालिक		कुल (स्त. 3 से 6 तक)
		स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यरत स्वामी	801					
औपचारिक रूप से किराये पर रखा हुआ कर्मों	802					
अनौपचारिक रूप से किराये पर रखा हुआ कर्मों	803					
अन्य कर्मों / सहायक	804					
योग (मद 801 से 804 तक)	809					

[9]को समाप्त पिछले 30 दिनों/को समाप्त कैलेंडर मास में कर्मियों को क्षतिपूर्ति			
परिलब्धियों का प्ररूप	मद सं.		मूल्य (रु.)
(1)	(2)		(3)
वेतन / मजदूरी, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, बोनस एवं अन्य व्यक्तिगत लाभ जो कर्मों को प्रत्यक्ष रूप में देय है (नकद तथा वस्तु रूप में)	कार्यरत स्वामी	901	
	औपचारिक रूप से किराये पर रखा हुआ कर्मों	902	
	अनौपचारिक रूप से किराये पर रखा हुआ कर्मों	903	
	उप - योग (मद 901 से 903 तक)	909	
बीमा, भविष्य-निधि तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान (एक महीने के लिए औसत)	कार्यरत स्वामी	911	
	औपचारिक रूप से किराये पर रखा हुआ कर्मों	912	
	उप - योग (मद 911 से 912)	919	
कैन्टीन, चिकित्सालय, शिशु देख-भाल केन्द्र इत्यादि के लिए नियोजक का योगदान (एक महीने के लिए औसत)	कार्यरत स्वामी	921	
	औपचारिक रूप से किराये पर रखा हुआ कर्मों	922	
	अनौपचारिक रूप से किराये पर रखा हुआ कर्मों	923	
	अन्य कर्मों / सहायक	924	
	उप - योग (मद 921 से 924)	929	
कुल परिलब्धियां (मद 909 + 919 + 929)		939	

[10] संदर्भ वर्ष के अन्तिम दिन स्वाधिकृत एवं किराए पर ली हुई स्थायी परिसम्पतियां (रू. पूर्णांक में)					
परिसम्पति का प्ररूप	मद सं.	संदर्भ वर्ष के अन्तिम दिन परिसम्पतियों का बाजार मूल्य(रू.)		*पिछले 365 दिनों में/ पिछले वर्ष स्वाधिकृत परिसम्पतियों में निवल वृद्धि (रू.)	किराए की परिसम्पतियों के लिए देय मासिक किराया (रू.)
		स्वाधिकृत	किराए की		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भूमि एवं भवन	1001				
संयंत्र एवं यन्त्र-समूह (मशीनरी)	1002				
परिवहन उपस्कर	1003				
औजार एवं अन्य स्थाई परिसम्पतियां	1004				
साफ्टवेयर एवं डेटाबेस	1005				
सूचना, कम्प्यूटर एवं दूरसंचार उपकरण	1006				
वर्तमान में चल रहा पूँजीगत कार्य	1007				
योग (1001 से 1007 तक)	1009				

* निवल वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से कोई हो सकती है।

[11] संदर्भ वर्ष के अन्तिम दिन बकाया ऋण (रू. पूर्णांक में)			
ऋण का स्रोत	मद सं.	धनराशि (रू.)	पिछले 30 दिनों/ कैलेंडर मास में देय ब्याज (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के सावधिक ऋणद संस्थान	1101		
सरकार (केन्द्रीय, राज्य, स्थानीय निकाय)	1102		
वाणिज्यिक बैंक	1103		
सहकारी बैंक एवं समितियां	1104		
लघु-वित्त संस्थाएं	1105		
अन्य संस्थागत अभिकरण	1106		
साहूकार	1107		
व्यापारिक साइलीदार	1108		
आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार	1109		
मित्र एवं संबन्धी	1110		
अन्य	1111		
योग (1101से 1111 तक)	1119		

[12] को समाप्त पिछले 30 दिनों/.....को समाप्त कैलेंडर मास में उद्दम की घटक आय (रु. पूर्णांक में)		
घटक आय का प्ररूप	मद सं.	मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)
परिलब्धियां (खण्ड 9 के मद 939, स्तंभ 3)	1201	
देय किराया (खण्ड 10 के मद 1001, स्तंभ 6)	1202	
देय ब्याज (खण्ड 11 के मद 1119, स्तंभ 4)	1203	
निवल अधिशेष	1204	
योग (मद 1201से 1204तक)	1209	

[13] को समाप्त पिछले 365 दिनों / पिछले वर्ष में उद्दम द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) के प्रयोग का विवरण		
मुख्य मद	मद सं.	(हाँ-1, नहीं-2)
(1)	(2)	(3)
<संदर्भ अवधि के दौरान>क्या उद्दम ने कम्प्यूटर/कम्प्यूटरों का प्रयोग किया?	1301	
<संदर्भ अवधि के दौरान>क्या उद्दम ने इण्टरनेट का उपयोग किया?	1302	
सर्वेक्षण के दिन क्या उद्दम वेब(इण्टरनेट) पर विद्यमान है?	1303	
सर्वेक्षण के दिन क्या उद्दम के पास इण्टरनेट है?	1304	
<संदर्भ अवधि के दौरान>क्या उद्दम को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति हेतु इण्टरनेट के माध्यम से मांग प्राप्त हुई है(यानि कि विक्रय किया है)?	1305	
<संदर्भ अवधि के दौरान>क्या उद्दम ने वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति हेतु इण्टरनेट के माध्यम से मांग की है(यानि कि क्रय किया है)?	1306	
<संदर्भ अवधि के दौरान> उद्दम इण्टरनेट से कैसे जुड़ा था?		
नैरोबैंड	1307	
स्थिर ब्राडबैंड	1308	
सचल ब्राडबैंड	1309	
सर्वेक्षण के दिन क्या उद्दम के पास लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) था?	1311	
सर्वेक्षण के दिन क्या उद्दम के पास एक्स्ट्रानेट था?	1312	
<संदर्भ अवधि के दौरान>इनमें से किन कार्यकलापों के लिए उद्दम ने इण्टरनेट का प्रयोग किया?		
ई-मेल भेजना एवं प्राप्त करना	1313	
इण्टरनेट पर टेलीफोन करना/वीओआईपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित	1314	
वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त करना	1315	
सामान्य सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करना	1316	
सामान्य सरकारी संगठनों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करना	1317	
इण्टरनेट बैंकिंग	1318	

[13] को समाप्त पिछले 365 दिनों/ पिछले वर्ष में उद्घम द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) के प्रयोग का विवरण		
मुख्य मद	मद सं.	(हाँ-1, नहीं-2)
(1)	(2)	(3)
अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाना	1319	
ग्राहक सेवाएं प्रदान करना	1321	
उत्पादों को ऑनलाइन पहुँचाना	1322	
भान्तरिक या बाहरी नियोजन(भर्ती) करना	1323	
कर्मचारी प्रशिक्षण	1324	
		संख्या
<संदर्भ अवधि> के दौरान नियोजित व्यक्तियों की <औसत> संख्या जिन्होंने नियमित रूप से कम्प्यूटर का प्रयोग किया	1325	
<संदर्भ अवधि> के दौरान नियोजित व्यक्तियों की <औसत> संख्या जिन्होंने काम के दौरान इंटरनेट का प्रयोग किया	1326	

14] क्षेत्र संकार्य का विवरण													
क्रम सं.	विवरण	अन्वेषक/ सहा. अधीक्षण अधिकारी						पर्यवेक्षी अधिकारी					
(1)	(2)	(3)						(4)					
1401	(i) स्पष्ट अक्षरों में नाम												
	(ii) संकेतांक												
	इनका/इनके दिनांक	दि	दि	मा	मा	व	व	दि	दि	मा	मा	व	व
1402	(i) सर्वेक्षण / निरीक्षण												
1403	(ii) प्राप्ति												
1404	(iii) संवीक्षा												
1405	(iv) प्रेषण												
1406	अनु. 2.34 को भरने में लिया गया कुल समय (मिनटों में)												
1407	क्या अनुसूची में अभ्युक्तियां हैं (हाँ-1, नहीं-2)	खण्ड 15 में		अनुसूची में अन्यत्र		खण्ड 16 में		अनुसूची में अन्यत्र					
1408	हस्ताक्षर												

मद सं.	व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ
1301	यहाँ एक कम्प्यूटर का उल्लेख डेस्कटाप(मेज पर रखा जाने वाला) या लैपटाप(गोद में रखा जाने वाला) कम्प्यूटर के लिए किया गया है। इसके अन्तर्गत ऐसे उपकरण नहीं आते हैं जिनके साथ कुछ कम्प्यूटिंग योग्यताएं सन्निहित होती हैं जैसे कि मोबाइल फोन, व्यक्तिगत आंकिक सहायक(PDA) या टी वी सेट।
1302	इंटरनेट एक विश्वव्यापी सार्वजनिक कम्प्यूटर संजाल है। यह वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) को सम्मिलित करते हुए कई तरह की संचार सेवाओं तक पहुँचने का रास्ता बनाता है एवं किसी भी यन्त्र (यह नहीं मानना है कि माध्यम केवल कम्प्यूटर ही हो सकता है बल्कि, यह मोबाइल फोन, गैम्स मशीन, डिजिटल टी वी इत्यादि के द्वारा भी हो सकता है) के माध्यम से ई-मेल,समाचार, मनोरंजन तथा डेटा फाइल लाता-ले जाता है। इंटरनेट तक पहुँच स्थायी (फिक्स्ड) या सचल(मोबाइल) संजाल(नेटवर्क) के द्वारा बनाया जा सकता है।
1303	वेब पर उपस्थिति के अन्तर्गत अपना वेबसाइट होना, होमपेज या किसी अन्य इकाई (संबन्धित व्यवसाय को सम्मिलित करते हुए) के वेबसाइट पर होना आता है। यदि कोई व्यवसाय किसी अन्य वेबपृष्ठ के ऑनलाइन निर्देशिका में सम्मिलित हो तथा उस वेबपृष्ठ की विषय-वस्तु पर व्यवसाय का कोई नियन्त्रण न हो तो इसे वेबपृष्ठ पर उपस्थित नहीं माना जाएगा। इसके अन्तर्गत किसी अन्य वेबपृष्ठ, जिसकी विषय-वस्तु पर व्यवसाय का कोई नियन्त्रण न हो, के ऑनलाइन निर्देशिका में सम्मिलित होने को नहीं लिया जाएगा।
1304	इंटरनेट का मतलब एक ऐसे आंतरिक संचार संजाल से है जो इंटरनेट संलेखों को प्रयोग करते हुए एक संगठन के अन्तर्गत (तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ) संचार की अनुमति देता है। पहुँच पर नियन्त्रण रखने के लिए इसे विशिष्ट रूप से एक फायरवाल के पीछे स्थापित किया जाता है।
1305	यदि मांग आदेश इंटरनेट से प्राप्त हुआ है तो उसे सम्मिलित किया जाएगा चाहे भुगतान ऑनलाइन किया गया हो या नहीं। इसके अन्तर्गत वेबसाइटों, विशिष्ट इंटरनेट बाजारों, एक्स्ट्रानेटों, इंटरनेट पर ई डी आई, इंटरनेट की क्षमता रखने वाले मोबाइल फोन एवं ई-मेल से प्राप्त आदेश सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अन्तर्गत दूसरे संगठनों के लिए मांग आदेश प्राप्त करना एवं दूसरे संगठनों द्वारा व्यवसाय के लिए मांग आदेश प्राप्त करना भी सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत उन मांग आदेशों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो निरस्त हो गए या पूर्ण नहीं किए गए।
1306	यदि मांग आदेश इंटरनेट से दिया गया है तो उसे सम्मिलित किया जाएगा चाहे भुगतान ऑनलाइन किया गया हो या नहीं। इसके अन्तर्गत वेबसाइटों, विशिष्ट इंटरनेट बाजारों, एक्स्ट्रानेटों, इंटरनेट पर ई डी आई, इंटरनेट की क्षमता रखने वाले मोबाइल फोन एवं ई-मेल से दिए गए आदेश आते हैं। इसके अन्तर्गत उन मांग आदेशों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो निरस्त हो गए या पूर्ण नहीं किए गए।
1307	नैरोबैंड के अन्तर्गत समानान्तर माडेम (स्टैन्डर्ड फोन लाइन के माध्यम से डायल-अप), इण्टीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (ISDN), डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) जिनकी गति 256 किलोबाइट प्रति सेकेण्ड (kbit/s) से कम हो, तथा मोबाइल फोन एवं अन्य पहुंच के प्ररूपों जिनकी विज्ञापित डाउनलोड क्षमता 256 किलोबाइट प्रति सेकेण्ड से कम हो सम्मिलित हैं। नैरोबैंड मोबाइल फोन सेवाओं के अन्तर्गत सी डी एम ए 1 एक्स (रिलीज 0), जी पी आर एस, डब्ल्यू ए पी एवं आइ-मोड सम्मिलित हैं।
1308	फिक्स्ड ब्रॉडबैंड से तात्पर्य कम से कम 256 किलोबाइट प्रति सेकेण्ड की गति वाली डी एस एल तकनीक, केबल मॉडेम, हाइ स्पीड लीज्ड लाइने, फाइबर-टू-द-होम, पावरलाइन, उपग्रह, फिक्स्ड वायरलेस, वायरलेस लॉकल एरिया नेटवर्क (WLAN) एवं डब्ल्यू आइ एम ए एक्स तकनीकों से है।
1309	मोबाइल ब्रॉडबैंड पहुंच सेवाओं के अन्तर्गत वाइडबैंड सी डी एम ए (डब्ल्यू-सी डी एम ए) जो कि यूरोप में सार्वभौमिक मोबाइल दूरसंचार व्यवस्था (UMTS) के रूप में जानी जाती है; हाइ-स्पीड अपलिक पैकेट एक्सेस (HSUPA) द्वारा सम्पूरित हाइ-स्पीड डाउनलिक पैकेट एक्सेस (HSDPA); सी डी एम ए 2000 1xईवी-डी ओ एवं डी सी एम ए 2000 1xई वी-डी वी सम्मिलित हैं। पहुंच किसी भी यन्त्र जैसे मोबाइल सेल्युलर फोन, लैपटाप, पी डी ए इत्यादि से हो सकती है।
1311	एल ए एन (LAN) का तात्पर्य ऐसे नेटवर्क से है जिसमें किसी स्थानिक क्षेत्र जैसे कि एक अकेला भवन, विभाग या स्थान, के अन्दर कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यह बिना तार के हो सकता है।
1312	एक्स्ट्रानेट एक बन्द नेटवर्क होता है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, ग्राहकों या अन्य व्यावसायिक साझेदारों से एक व्यवसाय से संबन्धित सूचनाओं का सुरक्षित आदान-प्रदान करने के लिए इंटरनेट संलेखों का प्रयोग किया जाता है। यह इंटरनेट के एक सुरक्षित विस्तार का रूप ले सकता है जो कि बाहरी उपयोगकर्ताओं को इसके कुछ हिस्सों तक पहुँचने की

मद सं.	व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ
	अनुमति देता है। यह व्यवसाय के वेबपृष्ठ का निजी भाग हो सकता है जहां कि व्यावसायिक साझेदार प्रमाणीकरण के बाद पहुँच बना सकते हैं।
1314	वी ओआईपी का तात्पर्य है वायेंस ओवर इण्टरनेट प्रोटोकॉल।
1317	इसके अन्तर्गत डाउनलोडिंग / ऑनलाइन फार्म के लिए अनुरोध करना, ऑनलाइन भुगतान करना एवं सरकारी संगठनों से खरीदना या सरकारी संगठनों को बेचना सम्मिलित है। सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करना इसके अन्तर्गत नहीं आता है।
1318	इसके अन्तर्गत भुगतान, अन्तरण इत्यादि के लिए बैंक से इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन करना या खाते की जानकारी देखना सम्मिलित है।
1319	इसके अन्तर्गत अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे कि शेयर, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा की खरीद के लिए इण्टरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन करना सम्मिलित है।
1321	इसके अन्तर्गत उत्पादों की सूची या मूल्य सूची को ऑनलाइन या इ-मेल से उपलब्ध कराना, ऑनलाइन उत्पाद की विशिष्टता या विन्यास, बिक्री के बाद सहायता, तथा मांग आदेश को ऑनलाइन खोजना सम्मिलित है।
1322	इसका तात्पर्य है उत्पादों को इण्टरनेट पर डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना उदाहरणार्थ प्रतिवेदन, सॉफ्टवेयर, संगीत, विडियो, कम्प्यूटर गेम तथा ऑनलाइन सेवाएं जैसे कम्प्यूटर से संबंधित सेवाएं, सूचना सेवाएं, यात्रा बुकिंग या वित्तीय सेवाएं।
1323	इसके अन्तर्गत रिक्त पदों के बारे में इण्टरनेट या वेबपृष्ठ पर सूचना उपलब्ध कराना एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने की अनुमति देना सम्मिलित है।
1324	इसके अन्तर्गत किसी इण्टरनेट पर या वर्ल्ड वाइड वेब से इ-लर्निंग अनुप्रयोग का उपलब्ध होना।

[15] अन्वेषक/सहायक अधीक्षण अधिकारी द्वारा अभ्युक्तियाँ

--

[16] पर्यवेक्षी अधिकारी/ अधिकारियों की टिप्पणियाँ

--